

सरकार जरिये भूमि धारक तहसील

बनाम

पूरा नाम व पता)

रिपोर्ट परकारी इस्का / आर्डीएलओआर

आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जारी की गई। जिसके अनुसार

खाता क्र. 187 में आवेदन रामकुमार सिंह नामक पत्नी के. 2015-16 के
सम्बन्ध में जमीन का नाम रामकुमार सिंह नामक पत्नी के
आवेदन में जमीन का नाम रामकुमार सिंह नामक पत्नी के
सम्बन्ध में जमीन का नाम रामकुमार सिंह नामक पत्नी के

क्रमांक राजस्व/2020/

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अनुरोध की जाती है / नहीं की जाती है।

उक्त किताब जाना उचित है

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुधुनू (राज.)

आदेश :-

दिनांक :- 9/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू030) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू030) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	मज्जाफ	2015-18	187	रामकुमार सिंह नायना	रामकुमार सिंह नायना

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जाये।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
दिनांक :- 9/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 916-17
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू030) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी